

GOVERNMENT BILLS - Contd.

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावरचन्द गहलोत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु और संशोधन करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध सात जातियाँ यथा देवेन्द्रकुलथन - क्रम संख्या 17, कड्डयन - क्रम संख्या 26, कल्लादि - क्रम संख्या 28, कुडुम्बन - क्रम संख्या 35, पल्लन - क्रम संख्या 49, पन्नाडी - क्रम संख्या 54 और वातिरैयान् - क्रम संख्या 72 को समूहित कर देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरुनेलवेली, तूतुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारूर और नागपट्टीनम जिलों के कड्डयन जाति के सदस्यों को जो अपने आपको प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हों, को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक द्वारा न तो किसी जाति को शामिल किया जा रहा है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन सात समुदायों को re-group करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिले। महोदय, मैं विस्तृत जानकारी चर्चा के बाद उत्तर के दौरान देने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विचार करें।

The question was proposed.

श्री उपसभापति: माननीय एलओपी, श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): माननीय उपसभापति जी, यह 2021 का जो Constitution (Amendment) Bill है, इस बिल में तमिलनाडु की सात जातियों को मिलाकर एक ही लिस्ट में लाना चाहते हैं, वह देवेन्द्रकुला वेलालर है। इसका तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि यह इनका Scheduled Caste के लोगों को एक जगह डालने का प्रयास है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये लोग 2015 में delegation लेकर देश के प्रधान मंत्री श्री मोदी जी से मिले थे, लेकिन उस वक्त इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसके बारे में अपनी सहमति भी नहीं जताई। अब तमिलनाडु में इलेक्शन आए हैं, इसीलिए इन सात जातियों के लोगों का समाधान करने के लिए और उनकी जो डिमांड थी, वह डिमांड फुलफिल करने के लिए अब ये अमेंडमेंट बिल लाए हैं। इसमें नीयत ठीक नहीं है और नीति में भी ये लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर करना ही है - उनकी यह डिमांड बहुत दिनों से थी - तो आप 2015 में ला सकते थे। आज तो बहुत से बिल यहां

आ रहे हैं कि वे दो दिन में तैयार होते हैं, तीसरे दिन वहां पर पेश होते हैं, चौथे दिन यहां पर भी पास होते हैं, लेकिन जिससे लाखों लोगों को फायदा होता है, वह बिल आप नहीं लाए। यह बात तो और है, लेकिन Scheduled Caste के लोग जिस दृष्टि से आज इस देश में जी रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी एक शायरी पेश करके अपने भाषण को शुरू करता हूँ:

*"जज़्बा है शोक शहादत का क्या कीजिए,
अब तो हमने भी हाथों में ये सर ले लिया,
कत्ल होने से आखिर कब तक डरें,
जब क्रातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।"*

अब तो हमारी हालत यह है। महोदय, हर जगह इन लोगों का कत्ल होता है, इन लोगों का खून होता है। क्या आप कभी उनके बारे में सोचकर इस हाउस में रोए हैं या नहीं रोए हैं? ..(व्यवधान)..जब आपको चाहिए, तब आप रोना भी सीखे हैं, हँसना भी सीखे हैं और दूसरों का मज़ाक उड़ाना भी सीखे हैं। ..(व्यवधान)..मैं एक बार हारा हूँ, लेकिन आप सौ बार हारे हैं। ..(व्यवधान).. Don't talk that. मैं ज़िदगी में पहली बार हारा हूँ, लेकिन आप हारते ही आए हैं। ..(व्यवधान)..

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : माननीय उपसभापति जी..

श्री उपसभापति : आप आपस में बैठकर बात नहीं कीजिए। ..(व्यवधान)..आप माननीय मंत्री हैं। ..(व्यवधान).. Please, please. ... (Interruptions)...

श्री रामदास अठावले : उपसभापति महोदय..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप जो भी कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ..(व्यवधान)..माननीय मंत्री जी, प्लीज़ उन्हें बोलने दीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उपसभापति जी, thank you very much..(व्यवधान).. महोदय, यह देवेन्द्रकुला वेलालर पहले से ही शैड्यूल्ड कास्ट्स में है और इस वक्त इनको एक जगह पर लाया गया है, उस पर मैंने पहले ही बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम सबको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा शैड्यूल्ड कास्ट्स को कुछ देना है या शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में लाना भी है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आप यह नहीं सोचते कि यह जो शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट बनी, वह खासकर अछूतों के लिए बनी, जिनके लिए डा० बाबासाहेब अम्बेडकर लड़े। यह रिज़र्वेशन सिर्फ संविधान के आने के बाद ही नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने 1919 में, जो Southborough Committee थी, उसके सामने अछूतों के लिए और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके

बाद उन्होंने 1929 में साइमन कमीशन के सामने भी यह बात रखी। उसके बाद Round Table Conference में भी - उन्होंने 1930, 1931 और 1932 की तीनों Round Table Conferences में अपनी बात रखकर यह कहा कि ये जो अस्पृश्य लोग हैं, untouchables हैं, particularly इनके लिए political reservations होना चाहिए, इनके लिए education और employment में reservation होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने 1946 में भी Cabinet Mission के सामने यह बात रखी, उन्होंने 1947 में भी Constituent Assembly के सामने यह बात पेश की। इससे पहले यह जो रिजर्वेशन आया, इसको लेकर 1932 में महात्मा गाँधी जी नहीं चाहते थे कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, यानी अछूत लोग अलग से special यानी अपना separate reservation लें। यह ठीक नहीं है, क्योंकि वे अब part and parcel of Hindu हैं, इसीलिए उनको separate electorate reservation देना ठीक नहीं होगा, उनका ऐसा कहना था। वे चाहते थे कि देश को एकता में जोड़कर रखें और आज़ादी के लिए सभी मिलकर लड़ें, इसलिए ये जो बाकी चीज़ें हैं - जैसे सामाजिक न्याय की बात है या सामाजिक समानता की बात है या सामाजिक एकजुटता करने का काम है, हम ये सभी आज़ादी के बाद सुलझा सकते हैं। उस समय गाँधी जी की यह मंशा थी कि separate electorate नहीं हो, even reservation के बारे में भी उनको reservation था। लेकिन आखिर में, जब बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिद पकड़ी, तब श्री राजगोपालाचार्य, मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सपू जैसे बड़े-बड़े नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन सभी ने मिलकर गाँधी जी को मनाया। उन्होंने यह कहा कि देश के हित में हम separate electorate की बजाय reservation दे सकते हैं, तो 1932 में Yerawada Jail में Poona Pact हुआ और इस पैक्ट के आधार पर Constitution में भी इसे जगह मिली। यह किसी की देन नहीं है। हम इसके लिए 1919 से लड़ते आए हैं तब यह मिला है। लेकिन अब इधर क्या हो गया कि *...(व्यवधान)...* आप बैठिए *...(व्यवधान)...* मैं बोलता हूँ तारीख के साथ। कब बोले, कहां बोले, यह बताता हूँ। *...(व्यवधान)...* *...(व्यवधान)...*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I have a point of order. *(Interruptions)*...Any reference to any organization or derogatory to any other organization should not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not derogatory, it is a fact. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: It is factual. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be looked into. *(Interruptions)* Please. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए यह बड़ी मेहनत के बाद मिला और इसका मज़ाक उड़ाते हैं। आज आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रहा कि इनके रिजर्वेशन को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए रेलवे को प्राइवेटाइज़ करो, एयर लाइन्स प्राइवेटाइज़ करो।

श्री उपसभापति: आपका समय पूरा हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री उपसभापति: बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो समय तय हुआ था, एक घंटे का, वह पूरा हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह important है इसीलिए मैं यह बात रखना चाह रहा हूँ। अगर आप समय नहीं देते हैं तो बात दूसरी है।

श्री उपसभापति: माननीय LOP, जब BAC में Business तय करते हैं तो आप सब वहां मौजूद होते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैंने तय नहीं किया। यह Constitution Amendment है, इसके लिए तीन घंटे रखे गए हैं।

श्री उपसभापति: आपका जो टाइम मेन्शन है, मैंने वह उल्लेख किया, आप बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ।

श्री उपसभापति: मैंने टाइम इसलिए मेन्शन किया, जो आप लोगों ने तय किया। तीन घंटे या चार घंटे आप लोगों ने तय किया था, मैंने नहीं तय किया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आपके सामने ही सब हुआ था।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : एलओपी बोल रहे हैं, आप कृपया बैठ जाएं। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)... माननीय एलओपी बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशंस भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं चंद आंकड़े देना चाहता हूँ, जिससे उधर के साथियों को भी पता चले कि अब केन्द्र सरकार में कितनी वेकेंसीज़ हैं। मैं यह नहीं कहता कि रेलवे में कितनी हैं, डिपार्टमेंट

ऑफ पोस्ट में कितनी हैं, डिफेंस में कितनी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में कितनी हैं, एटॉमिक एनर्जी में कितनी हैं, सर्विस और रेवेन्यू में कितनी हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा वेकेंसीज शैड्यूल्ड कास्ट्स की हैं। शायद गोयल साहब सदन में नहीं हैं। रेलवे में टोटल वेकेंसीज 9,767 एससीज के लिए हैं, उनमें से 5,559 अनफिल्ड हैं यानी 56 प्रतिशत वेकेंसीज भरी नहीं गई हैं। डिफेंस में 1,649 में से 1,413 पोस्ट्स एससीज की खाली हैं। इसी तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट में 1,379 में से 393 वेकेंसीज हैं, जो कि 28 प्रतिशत हैं। एटॉमिक एनर्जी में 72 प्रतिशत वेकेंसीज हैं...(व्यवधान)... 2014 तक क्या थीं, इसीलिए आप वहां बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे।

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, इसके बाद Central Universities में SC की total 2,251 posts हैं, जबकि vacancies 1,084 हैं, यह 48 परसेंट है; ...(व्यवधान)... ST की 1,117 posts हैं, उनमें 604 vacant हैं, 54 per cent vacancies हैं; OBC की 2,991 पोस्ट्स हैं, उनमें 1,684 vacant हैं, 56 per cent vacancies हैं। ये सब vacancies क्यों हैं, क्योंकि वे भर्ती नहीं करना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि assured job ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, this is not allowed; please let him continue his speech. Nothing is going on record, please. (Interruptions)...आप अपनी बात कहें। ... (व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: Scheduled castes को जो assured jobs मिलते हैं, उन assured jobs को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। इस साजिश के पीछे मुख्य बात यही है कि इन लोगों को कोई assured job न मिले, ये financially weak रहें और फिर पहले जैसे ये गुलामगिरी में थे, वैसे ही रहें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह उनकी मंशा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा और आखिर में यही बात कह कर अपनी बात को खत्म करूँगा। "How long shall we continue to live" -- यह बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा है -- "How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up." बाबासाहेब अम्बेडकर

Constituent Assembly में जिस वक्त संविधान पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह भाषण दिया था। ...(व्यवधान)... उनको कैसे हरवाया, आप मुझसे argument करो, मैं बोलता हूँ।

श्री उपसभापति : प्लीज़ आप conclude करें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उपसभापति महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, कभी-कभी ये ऐसी बात करते हैं, जो लोग उस movement में भी नहीं थे। जब डा. बाबासाहेब की statue यहाँ पर खड़ी करने की बात आई, तब हम लोग 8-8 दिन जेल गए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे और आप बात करते हैं अम्बेडकर के बारे में!

श्री उपसभापति : आप अपनी बात conclude करें, already आप निर्धारित समय से अधिक बोल चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए मेरा कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी, महात्मा गाँधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ...(व्यवधान)... इन सब ने मिल कर बाबासाहेब अम्बेडकर को Constituent Assembly की Drafting Committee का Chairman बना कर यह संविधान दिया है। इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, democracy को बरबाद करने वाले आप लोग हैं और आज democracy की जगह autocracy ला रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए मैं यह चाहूँगा कि इसके साथ ही आप ये सब vacancies fill up करने की कोशिश कीजिए। आप हर स्टेट को भी instruction दीजिए, क्योंकि जब तक आप instruction नहीं देंगे, अगर हर स्टेट में भी vacancies भरी नहीं जाएँगी, तो मैं समझता हूँ कि यह reservation देकर भी, नहीं देने जैसा होता है। एक तरफ आप इसे एक हाथ से दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ। प्रश्न का जवाब, सब देते रहेंगे, लेकिन पहले यह काम करिए। आप हमको यह काम करके दिखाइए, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. माननीय भूपेन्द्र यादव जी। ...(व्यवधान)... प्लीज़ बैठ कर बात न करें।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : सम्माननीय उपसभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता, सम्माननीय खरगे जी ने भारत के संविधान की रक्षा की बात, भारत के संविधान के सम्मान की बात, भारत के संविधान को लागू करने की बात कही। अब भारत के संविधान के लागू होने को और भारत की आज़ादी को 75 साल हो जाएँगे। इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है

कि संविधान के सारे मौलिक अधिकारों को यदि एक बार ही सस्पेंड किया गया है, वह तभी किया गया था, जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में रहकर इमरजेन्सी लेकर आई थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठकर बात न करें।

श्री भूपेन्द्र यादव: एक ही बार हुआ, बाकी नहीं हुआ।..**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर बातें न करें, माननीय सदस्य को बोलने दें, केवल उन्हीं की बात रिकॉर्ड पर जा रही है।..**(व्यवधान)**..

श्री भूपेन्द्र यादव: दूसरा विषय ..**(व्यवधान)** बिल पर भी बोल रहे हैं।..**(व्यवधान)**... निश्चित रूप से इस देश के संविधान को बनाने और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डा. बाबासाहेब का योगदान रहा, लेकिन डा. बाबासाहेब ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वह लोक सभा में न आए, उनको हराने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। उसके बाद मैं यह सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम डा. बाबासाहेब को पूरा नमन करते हैं और इसलिए डा. बाबासाहेब को भारत रत्न तभी मिला, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। कांग्रेस आज वोटों की राजनीति के लिए तरह-तरह की गलतबयानी करने का काम करती है। उस कांग्रेस को यह ध्यान में आना चाहिए कि बाबासाहेब के पंचतीर्थों को सम्मान देने का काम तभी मिला, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े, दलित और जनजाति समाज के वर्ग के लिए आर्टिकल 340, 341 और 342 की एक पूरी व्यवस्था की थी। आज आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो कांस्टिट्यूशन ऑर्डर है, हमने इसकी पावर विधायिका को दी और यह पावर हमने संसद को इसलिए दी, ताकि इसका उपयोग बहुत सोच-समझकर हो। जब इस देश में 1935 में ब्रिटिशर्स के समय में एक्ट आया था, तब डा. बाबासाहेब ने यह कहा था कि काफी सारा समाज ऐसा है, जो समाज में अनटचेबिलिटी का शिकार है और उस अनटचेबिलिटी के निराकरण के लिए जब यह संविधान बना तो हम शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए ऑर्डर लेकर आए और शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिज़र्वेशन दिया, लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बारे में शेड्यूल्ड कास्ट रिज़र्वेशन को रिलिजन बेस्ड करने का जो * कर रही है, उससे बचना चाहिए। यह रिज़र्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट का है और उनके लिए लागू रहना चाहिए। क्योंकि सदियों से जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको समतामूलक जगह देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैं खरगे साहब मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है तो उसकी पंचनिष्ठाओं में से एक निष्ठा है समतामूलक समाज की स्थापना करना, यह हमारे विचार के मूल में है। कांग्रेस का सदस्य बनने पर आपकी क्या निष्ठा है, आप कभी बता दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने पर जो पांच निष्ठाएं ली जाती हैं, वे समतामूलक समाज के निर्माण की हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यह प्रतिबद्धता है कि हम संविधान के द्वारा

* Expunged as ordered by the Chair.

दिये गये आरक्षण को जारी रखेंगे और समाज को समता के स्तर पर लेकर भी आएंगे। इसलिए आर्टिकल 341 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, आप यह भी तो देखिये कि कोई एक समाज इतने लम्बे समय तक इस व्यवस्था में आने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए वंचित था, तमिलनाडु में उस समाज को जोड़ने का काम जो सरकार ने किया है, उसके लिए मैं हमारे मंत्री, श्री थावरचन्द गहलोत जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 341 ..(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): 6 साल पुराना है।

श्री भूपेन्द्र यादव: आपने तो नहीं किया। आर्टिकल 341 जहां शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है, आर्टिकल 342 शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप जो समता की बात करते हैं, आर्टिकल 340 में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो पहचान की व्यवस्था की और जैसे ही आज़ादी मिली, काका कालेलकर कमीशन को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि जब कांग्रेस सत्ता से गई तो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन 'मंडल आयोग' तभी बना, जब कांग्रेस इस देश में सत्ता से चली गई। उसके बाद 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट को भी आपने लागू नहीं किया। 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट भी तभी लागू हुई, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा-खरगो साहब, आपकी सरकार दस साल रही, आप भी उसमें मंत्री रहे। दस साल तक ओबीसी वाले लोग कहते रहे कि ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाए, उनको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा तभी मिला है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। इतना ही नहीं, सामाजिक समता का जो हमारा विषय है, जो हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, जो हमारा मिशन है, भारत को बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम कभी समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के संघर्ष की बात नहीं करते। हमने शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दिया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी 10 प्रतिशत रिज़र्वेशन दिया। समाज में जिसको आगे बढ़ाने का affirmative action है, उसको लेकर हम सरकार में आये हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर आप जैसा वरिष्ठ नेता भाषण दे और वरिष्ठ नेता के रूप में आपने समाज में बहुत लम्बे समय तक इस दर्दपूर्ण जीवन को देखा है, तो निश्चित रूप से उन विषयों को भी आप यहाँ पर प्रतिपादित करने का, आगे बढ़ाने का काम करिए, जिसको लेकर 6 साल में हमारी सरकार ने काम किया है।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): मंडल कमीशन का विरोध तो बीजेपी ने ही किया था। ... (व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव: कभी नहीं किया है। ... (व्यवधान)... यह on record है। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ... (व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव: यह on record है। ...**(व्यवधान)**... आप लोक सभा की डिबेट उठाकर देखिए। लोक सभा की डिबेट में उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता, राजीव गांधी जी का भाषण उठाकर पढ़ लीजिए। आपको पता लग जायेगा कि मंडल आयोग का विरोध किसने किया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: आप रिकॉर्ड देखिए। ...**(व्यवधान)**... बीएसपी तो तब लोक सभा में थी भी या नहीं थी, किसी को पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में आप आये ही भारतीय जनता पार्टी के कारण ...**(व्यवधान)**... कौन वहाँ ला रहा था? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आप लोग आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... कृपया आपस में बात नहीं करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: आप आज मुझे डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। आप नागराज केस का जजमेंट पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि शैज्यूल्ड कास्ट्स को प्रमोशन में रिज़र्वेशन के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि बीएसपी की सरकार थी, वह स्टेट का डेटा उपलब्ध कराने में विफल रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं on record कह रहा हूँ, जो आपकी सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। आप किस की बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: आपके लिए observation लिखी हुई है। ...**(व्यवधान)**... आप मत सिखाइए। आपके लिए observation लिखी हुई है। ...**(व्यवधान)**... आप लोक सभा की डिबेट उठा कर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक समता की बात की है।

श्री उपसभापति: माननीय भूपेन्द्र जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: इसलिए ये जो आज तरह-तरह का मिथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यह जो आज कांग्रेस को बाबासाहेब की याद आने लगी है, 50 साल तक इनको कभी बाबासाहेब की

याद नहीं आयी। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि 70 सालों में समाज के जिन वर्गों को उसने वंचित रखा है, आज समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करने का काम इस सरकार ने, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारा यह पूरा मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में हमने जो तीनों न्याय की संकल्पना की है - सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय - उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए ही यह नया संवैधानिक ऑर्डर तमिलनाडु की जिन कुछ जातियों को आज वापस सम्मिलित करने के लिए आ रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। यह एक ऐसा आदेश है, जिसके द्वारा सदियों से वंचित समाज को उसका हक मिल सकेगा, इसलिए हमको इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए, धन्यवाद।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank hon. Prime Minister for bringing this Constitution Amendment Bill in relation to Devendrakula Velalar. What is meant by Devendrakula Velalar? I hope, our senior Member, Shri Jairam Ramesh, will translate it properly. Anyhow, on my part, I want to do it. Devendran is Lord Indra. Kulam is family or descendents. Velalar means agriculturists. They are all descendents of Lord Indra and they are the best agriculturists. That is the meaning. What a fine Bill it is! Devendrakula Velalar Bill today being brought by our hon. Prime Minister is a timely action. We may say it is late, but it is the latest. It is appropriate and a timely action, a timely intervention by our hon. Prime Minister. Tamil Nadu is known for social justice and our hon. Amma is known as *samuha neethi katha veeranganai*, a savior of social justice. She brought in 69 per cent reservation in education/admissions and also employment. Now many people are occupying very high positions in Tamil Nadu as well as in the Central Government, in judiciary and in all walks of life. It is because of the best efforts taken by hon. Amma. My humble submission would be, this is the right Bill, the right step in the right direction towards achieving and further the cause of social justice. Thank you, Sir.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, the Bill proposes to replace the entry for the Devendra Kulathan community with Devendrakula Velalar which includes communities that are currently listed separately within this Act. These are some of the seven communities. They are coming into one name, one nomenclature. The demand has been pending for a long time before Tamil Nadu. What is the timing? Elections are announced in Tamil Nadu. Elections are going on. Election code is there in Tamil Nadu. We are discussing this Bill now. This is the urgency! I wish to bring to the kind notice of the Minister of Social Justice and Empowerment, for the last four years, there is a Bill from Telangana. We have requested to include some communities in ST category. We have constituted a Commission and our Assembly

recommended that Bill also. That also is pending. When elections are coming, you are accelerating and putting it before Parliament. I request the hon. Minister, where there is no election also for social justice sake, kindly consider such Bills for Telangana and other States also.

One thing I wanted to mention in the House is, last week I mentioned about the implementation of reservation of 60 per cent in higher educational institutions. Sir, SC, ST and OBC posts are vacant. Vacancies are not filled. Even ST vacancies are 80 per cent. That is not filled. Sir, last time also I even requested that the Standing Committees should be given instructions to review all institutions once in three months. I request through you, Sir, that Parliament, at least, once in a year, should hold discussion on the reservation issue. Thank you, Sir.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I rise today to express my support on behalf of YSR Congress Party for The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, which seeks to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order of 1950. The background for supporting this Bill is, as we today talk about reservations for the Scheduled Castes, we must remind ourselves of the famous saying by Dr Ambedkar, and I quote, "So long as we do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to us." Thus, reservations under Article 15(4) and Article 16(4) of the Constitution have come to a great respite to undo such injustices of history. Sir, to achieve social liberty, our hon. Chief Minister has taken certain measures to improve economic growth of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

In the light of this, I must also take this opportunity to highlight schemes and measures being implemented by the Government of Andhra Pradesh, like YSR Pension Kanuka, YSR Aasara, Amma Vodi and Jagananna Vidya Deevana among various others and has ensured continued support for the people belonging to the Scheduled Castes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Subhas Chandra Boseji.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, apart from this, recently, our hon. Chief Minister has, in the State's new Industrial Policy...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is over.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: ...insisted upon providing for an additional push to the aspiring entrepreneurs, especially among underprivileged communities, particularly SCs and STs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Subhas Chandra Boseji, please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I am concluding, Sir. Sir, there are so many schemes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your allotted time is already over. Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, since there is no time, I am not able to mention various schemes and programmes being implemented in Andhra Pradesh by our hon. Chief Minister. With these words, I conclude by saying that our YSRC party supports this Bill. Thank you.

श्री उपसभापति : माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद - Not present. प्रो. मनोज कुमार झा जी, आपके पास एक मिनट है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं क्या कह सकता हूँ? ...**(व्यवधान)**... खैर, उस दिन मुरलीधरन जी ने बीजू बाबू जनता दल को अपनी तरफ से कुछ वक्त दे दिया था। सर, ये नज़रे इनायत हो। ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभापति महोदय, ऐसा कम ही होता है, जब मैं सरकार द्वारा लाए किसी बिल के पक्ष में खड़ा होता हूँ, और इसका समर्थन करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... नहीं, यह दूसरी बार है।

महोदय, समय को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन अब इनके वक्त के चयन पर आशंका करने का भी दिल नहीं करता है। तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में आसमान की बुलंदी तक पहुंचने वाले जो कुछ संस्थान हैं, जो कभी last hope हुआ करते थे, वे अब lost hope में तब्दील हो रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उन संस्थानों से यह कहा जाए कि 70 वर्ष हो गए, कितना और चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि यह सदन के लिए भी अच्छा संकेत नहीं हैं। हममें से कोई कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन संस्थानों से आने वाली आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का हाल देखना हो, तो सदन और मंत्रालय से लेकर संस्थानों में देख लें।

महोदय, मैं आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म ही कर दूँगा, आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि डा. बाबासाहेब पर बहुत बात होती है, कभी इधर से होती है, कभी उधर से होती है। आप counterfactually सोचिए, अगर डा. बाबासाहेब आएंगे, तो अपनी मूर्ति नहीं देखना चाहेंगे, अपने लिए भवन नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि सहभागिता और प्रतिनिधित्व देखना चाहेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिरी टिप्पणी यह कर रहा हूँ कि हममें से कोई

कहीं भी बैठा हो, अब वक्त आ गया है कि 1932 के पूना पैक्ट पर एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि अगर बापू आ जाएंगे, तो वे भी कहेंगे कि भीम तुम सही थे, मैं गलत था।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मान्यवर, अभी इस सदन में कई बातें कही गईं, एलोओपी जी के द्वारा भी कही गईं और मनोज जी ने भी सवाल उठाया। जहाँ तक इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, अगर हिन्दुस्तान में दलितों और पिछड़ों की कोई सबसे ज्यादा विरोधी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार है। मैं यह बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ। आपने रेल के अंदर नौकरियाँ खत्म करके आरक्षण खत्म किया, रेल के अंदर नौकरियाँ खत्म करके आरक्षण खत्म किया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया। अभी यहाँ पर बड़ी हास्यास्पद बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन के समर्थन में थी। सर, पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि मंडल के खिलाफ कमंडल ये लोग लेकर आए और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार अगर किसी ने गिराई, तो भारतीय जनता पार्टी ने वह महापाप और अपराध किया। आप आरक्षण की बात कैसे करते हैं? आपके राज्यों में दलितों की हालत क्या है? मान्यवर, हाथरस कांड हुआ। वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई और * ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : सरकार पर टिप्पणी न करें। ...(व्यवधान)... प्लीज ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)... गुजरात के अंदर एक दलित समाज का बच्चा मूँछ रख के जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर बैठकर एक दलित शादी करने जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। आपके राज्यों में यह हो रहा है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूँ कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन-सा अध्यक्ष आज तक दलित समाज से हुआ है? आज आप इसको बताइए। सर, मेरा अभी दो मिनट समय बाकी है। आपकी इतने राज्यों में सरकारें बनीं, आज आप इस सदन में बताइए, दलित समाज के किसी एक व्यक्ति को आपने किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्री बनाया हो? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : संजय सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : आपकी 94 साल पुरानी विचारधारा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय संजय सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए, आपका समय खत्म हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : आपने आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित समाज से बनाया हो, आप इसको बताइए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : थैंक यू। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : यह पार्टी अपनी विचारधारा में, अपने मूल में दलितों की, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। ...(व्यवधान)...इसलिए आज पूरे देश में सरकारी संस्थानों को बेचकर, चन्द पूंजीपतियों के हवाले करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। यह एक गंभीर सवाल है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूँगा। भारतीय समाज में हम लोग एक शब्द सुनते आए हैं- 'पतिव्रता पत्नियाँ।' यह सरकार 'पूँजीपतिव्रता सरकार' बन गई है। मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. फौजिया खान जी, आपके पास दो मिनट का समय है।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, तमिलनाडु में वंचित समाज को आरक्षण देने का जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। समता-आधारित समाज की बात हो रही है। मैं यही कहूँगी कि:

*"चमन में इखिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है,
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।"*

अगर इस तरह का समाज बनाना हो, तो तमिलनाडु में तो इलेक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र में भी मराठा समाज बहुत दिनों से, 2014 से आरक्षण के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए रुका हुआ है। मैं सरकार से इस बहाने यह कहना चाहती हूँ कि यह बात कोर्ट में जरूर है, लेकिन यह अधिकार पार्लियामेंट का है। हमेशा कहा जाता है कि 50 परसेंट उसकी लिमिट है, लेकिन किसी भी संवैधानिक प्रोविजन में 50 परसेंट लिमिट नहीं कही गई है। जैसे, शाहबानो केस में एक निर्णय पार्लियामेंट ने लिया था, मैं यह विनती करना चाहती हूँ कि मराठा आरक्षण के लिए भी एक निर्णय पार्लियामेंट को लेना चाहिए और एक बार महाराष्ट्र के इस वंचित समाज को आरक्षण देना चाहिए। जो-जो वंचित समाज हैं, चाहे वह मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इनके आरक्षण के लिए भी हमारे पार्लियामेंट में पहल होनी चाहिए। मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय रामदास अठावले जी, आपके पास दो मिनट का समय है।

श्री रामदास अठावले : उपसभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी को समाज को तोड़ने की आदत नहीं है, उनको समाज को जोड़ने की आदत है। मोदी जी को दलितों के लिए राजनीति करने की आदत नहीं है, उनको समतावादी समाज के निर्माण की आदत है। कांग्रेस को बदनाम करने की भी मोदी जी को आदत नहीं है, संविधान की रक्षा करने की मोदी जी को आदत है।

आर्टिकल 341 के मुताबिक, तमिलनाडु में जो सात जातियाँ हैं, उनमें देवेन्द्रकुलथन है, कडुयन है, कल्लादि है, कुडुम्बन है, पल्लन है, पन्नाडी है, वातिरैयान् है। इन सात जातियों को अंतर्भूत करने का अधिकार इस पार्लियामेंट को है और इसीलिए यह बिल लाया गया है। इन जातियों पर कई सालों से अन्याय हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में यह काम होना चाहिए था। मेरे मन में मल्लिकार्जुन खरगे साहब के बारे में आदर है कि वे विरोधी पक्ष के नेता बन गए हैं। आपको सोनिया गांधी जी ने यहाँ के विरोधी पक्ष का नेता बनाया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री रामदास अठावले : नरेन्द्र मोदी जी ने माननीय रामनाथ कोविन्द जी को राष्ट्रपति बनाया है, हमारे थावरचन्द गहलोत जी को इस सभागृह का नेता बनाया है, मुझे मंत्री बनाया है। नरेन्द्र मोदी जी सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं। हमें समाज में झगड़ा पैदा करने का काम नहीं करना है, बल्कि समाज को जोड़ने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी वर्गों को न्याय देने वाली है। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कांग्रेस के कार्यकाल से आयी है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, यह हमारी मांग है, जिसके लिए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन खत्म करने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। दलितों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी। आपके पास दो मिनट का समय है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं चाहता था कि माननीय भूपेन्द्र यादव जी यहां होते, लेकिन वे अभी मौजूद नहीं हैं।

श्री उपसभापति : आप बोलें, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : उपसभापति महोदय, मैं उनकी मौजूदगी में बोलना चाहता था। आप अभी किसी और को बोलने का मौका दे दीजिए।

श्री उपसभापति : आप लास्ट वक्ता हैं, आपके बाद माननीय मंत्री जी का रिप्लाय होगा।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब वे बोल रहे थे, तब मैं उनका भाषण सुन रहा था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको कानून और constitution का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं यह admit करता हूँ, लेकिन आज उन्होंने अपने वक्तव्य में एक ऐसी बात कह दी, जब हमारे साथी ने इधर से कुछ कमेंट किया, कमेंट जो भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने reaction में एक ऐसी बात कही, जो कि रिकॉर्ड में चूँकि आ गई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको सही करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि, 'नागराज के केस के बाद, उन्होंने कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी के ऊपर कमेंट किया'। मैं यह चाहूँगा कि वे मुझे वह पैराग्राफ पढ़कर सुना दें - भूपेन्द्र जी आ गए हैं, मैं उन्हीं की मौजूदगी में बात कहना चाहता था, जिससे कि यह न हो कि मैं पीठ पीछे बात कर रहा हूँ। उन्होंने बीएसपी के ऊपर हमलावर होते हुए यह कहा कि आप खुलवाइए नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की गई है। महोदय, यह पूरे सदन को, राज्य सभा और लोक सभा, सभी को मालूम है कि वे जिस judgement का जिक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी। संविधान का जो provision था, उसको उन्होंने गलत interpretation करते हुए और जो 13 जजेज़ की बेंच थी, उसको overrule करते हुए 5 जजेज़ ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनका यहां पर determination होना चाहिए कि इनको कितनी quantification है और इनको वहां पर कितना advantage मिल रहा है, कितने लोग इसमें already हैं या नहीं हैं, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वह बात किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं थी। उससे पहले इसी चीज़ को लेकर हिमाचल प्रदेश और एक अन्य प्रदेश का judgement आ चुका था। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर बात उठायी, लोक सभा में बात उठायी, राज्य सभा में बात उठायी, हमारी पार्टी की लीडर ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इसमें संविधान का संशोधन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें review file होना चाहिए, लेकिन review file नहीं हुआ और उसके बाद जब हम लोग संविधान संशोधन के लिए आंदोलित हुए, हम लोगों ने बात उठायी तो संविधान संशोधन के लिए यहां पर बिल लाया गया और यह इसी बात का संविधान संशोधन बिल है। मैं चाहूँगा कि भूपेन्द्र यादव जी इस बिल को उठाकर देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी judgement को, जिस जजमेंट में उन्होंने एक नई व्यवस्था की थी, उसको खत्म करने के लिए और जो सही व्यवस्था थी, उसको लागू करने के लिए संविधान का संशोधन बिल आया था। वह राज्य सभा में किस तरह से पास हुआ था, यह पूरे देश ने देखा था। वह बिल यहां से पास होने के बाद जब लोक सभा में गया था, तब भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने खड़े होकर उसको oppose किया था। उस बिल को पास नहीं होने दिया। आज आठवां साल चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी पावर में थी, हम लोगों ने 8 साल बात उठायी, जब-जब all-party meeting हुई, उसमें मैंने स्वयं यह बात उठायी कि यह बिल कहां डस्टबिन में पड़ा हुआ है? इसको निकालिए और इसको भी लेकर आइए। इस पर बहस कराकर इसको पास कराइए, जिससे कि पूरे देश के जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वह खत्म हो सके। वह बिल आज तक नहीं लाया गया, वह क्यों नहीं लाया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और अभी की तत्कालीन सरकार देना चाहेगी।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं भूपेन्द्र यादव जी से यह कहना चाहूँगा कि उन्हीं की सरकार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आज जो आदेश जारी हुआ है, गवर्नमेंट ने

आदेश जारी किया कि Scheduled Caste का कोई reservation नहीं होगा, किसी भी जगह Scheduled Caste का reservation नहीं होगा। वहां पर यह कानून व्यवस्था चल रही है। आप quantification की बात छोड़िए, अमेंडमेंट की बात छोड़िए, अन्य चीजों की बात छोड़िए, लेकिन उत्तराखंड में there is no reservation for Scheduled Caste. इसका जवाब कौन देगा, भारतीय जनता पार्टी देगी या बीएसपी देगी? इतना ही नहीं, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो लोग हमारे साथ इधर बैठे हैं, इनकी सरकार से यह सिस्टम शुरू हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया कि आप यह रिजर्वेशन क्यों खत्म कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी आयी तो उसने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया।

श्री उपसभापति : आपका समय बहुत पहले खत्म हो चुका है।

7.00 P.M.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : महोदय, इस बिल के संबंध में सभी चर्चा कर चुके हैं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था, क्योंकि यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनकी बहुत respect करता हूं, regard करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन अपनी बात कहनी पड़ी।

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, मैं केवल दो वाक्य कहना चाहता हूं। पहला विषय यह है कि सतीश मिश्रा जी, बीएसपी के सदस्य हैं, जब मैं भाषण दे रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा ने मंडल का विरोध किया। मैंने तब भी उन्हें लोक सभा की डिबेट पढ़ने के लिए कहा था और मैं आज भी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रिजर्वेशन के समर्थन में रहा। इस पर अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, तो आप लाइए। मैंने उनको लोक सभा की डिबेट पढ़ने के लिए कहा था। दूसरा, जब राज्य सभा में 'Promotion in Reservation' पर बहस हुई थी, तो जो पैराग्राफ मैंने आज क्वोट किया है, वह as it is मेरी उस स्पीच में भी है। अगर आप कोई रिकॉर्ड रखने के लिए कहेंगे, तो मैं उसको रखूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि मेरी स्पीच राज्य सभा की वेबसाइट पर है। आप भी उस समय सदन में थे, मैं भी उस समय सदन में था। आप उसे पढ़ लीजिए, मैं उसी को reiterate कर रहा हूं।

श्री थावरचन्द गहलोत : माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहले मूल विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद, माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। अभी वर्तमान में तमिलनाडु में जो सात जातियां हैं, वे अलग-अलग क्रम पर उल्लिखित हैं। उनके उल्लेख के बारे में मैंने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। इस बिल का उद्देश्य, ये जो सात जातियां हैं, इन सातों जातियों के आम लोग अपने आपको 'देवेन्द्रकुला वेलालर' के नाम से मानते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव भेजा कि इन सातों जातियों को समाहित करके एक नाम 'देवेन्द्रकुला वेलालर' दे दिया जाए। यह प्रक्रिया है कि किसी राज्य सरकार से अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो हम उस प्रस्ताव

को RGI के पास भेजते हैं। अगर RGI सहमति देता है, तो फिर हम उसको आयोग के पास भेजते हैं और यदि आयोग भी सहमत हो जाता है, तो फिर सरकार उस पर कार्रवाई करती है। वह विषय कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृति आने के बाद विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हमने उसी प्रक्रिया का पालन किया है। इसका राजनीति से या तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं है। वर्ष 2015 से यह प्रक्रिया चलते-चलते अब पूरी हुई और इस कारण से इसे सदन में लाया गया। यह आरोप कि तमिलनाडु में चुनाव हैं, इस कारण से इस बिल को लाया गया है, तो यह इन तथ्यों से परे है, सत्य से परे है और इसमें कोई सत्यता नहीं है। इस बिल के कारण जो स्थिति बनने वाली है, जो कानून बनने वाला है, वह केवल दो क्रमांक में इन जातियों का समावेश करने वाला है। सर, प्रविष्टि (क) 17 में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। 'देवेन्द्रकुला वेलालर', (देवेन्द्रकुलथन, कड्डयन, तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारूर और नागपट्टीनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर) इन जिलों में लागू रहेगी, लेकिन इन क्षेत्रों के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर, कल्लादि, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान् जातियां क्रमांक 17 में समाहित हो जाएंगी।

दूसरा इसका (ख) भाग है। प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् - कड्डयन (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारूर और नागपट्टीनम जिलों में), क्योंकि कड्डयन जाति के समूह ने यह कहा कि इन जिलों में हमको कड्डयन नाम से ही पुकारा जाए। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि इन जिलों में कड्डयन जाति कड्डयन के नाम से ही पहचानी जाएगी। इन जातियों को एक जाति में समाहित कर देने के बाद भी विलोपन नहीं किया गया। अलग-अलग समूह में, अलग-अलग क्रम पर दर्ज थीं, उनको केवल एक क्रमांक 17 में दर्ज कर दिया गया है, ताकि अभी तक जिनके प्रमाण-पत्र बने हुए हैं, भविष्य में भी वे उपयोगी सिद्ध होते रहें और इस नाम का उल्लेख करने के बाद भी, 'देवेन्द्रकुला वेलालर' जाति के नाम का प्रमाण-पत्र उनको मिलेगा, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आएगा। यह प्रावधान होने के कारण प्रविष्टि 28, 35, 49, 54, और 72 का लोप हो जाएगा। विधेयक तो केवल इस आशय का है, परंतु इस विधेयक पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए हैं। मैं उन अन्य मुद्दों पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि भूपेन्द्र जी ने, जो मल्लिकार्जुन खरगे साहब ने कुछ विषय उठाए, उनमें से बहुत सारी बातों का उल्लेख कर दिया है। मैं इस अवसर पर यह विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार ही अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक हितैषी थी, है और आगे भी हितैषी रहेगी। इसके लिए अगर लंबा विचार-विमर्श करने का अवसर हो, तो मैं एक नहीं, अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो अटल जी की सरकार ने लिए और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लिए, उनका उल्लेख करके सिद्ध कर सकता हूँ। खरगे जी ने बोला कि 2015 में ये लोग प्रधान मंत्री जी से मिले थे, उस समय इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। जैसा मैंने बताया कि यह प्रक्रिया है, प्रक्रिया में राज्य सरकार ने जब हमारे पास प्रस्ताव भेजा, उसके बाद सिलसिला चालू हुआ। जैसा मैंने बताया कि यह आरजीआई में गया, आरजीआई ने सहमति दी और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। इस कारण से यह प्रक्रिया पूरी होते-होते अब सदन में यह बिल आया है। इसमें शंका, आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार खरगे साहब उस सरकार के हिस्सेदार थे और नहीं भी हों, तो

वह यूपीए की सरकार थी। आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहीं भी आरक्षण को समाप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, सोचा भी नहीं और सोचेंगे भी नहीं। यूपीए की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उनको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय घोषित कर दिया और वहां जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलता था, वह आरक्षण समाप्त कर दिया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किसने किया? अगर खरगे जी को याद हो, तो वे बताएं कि यह किसने किया? इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। अटल जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उनको मीडियाकर्मियों ने, प्रेस वालों ने पूछा कि आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी? उन्होंने कहा कि मेरी सरकार डा. अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर चलेगी। उन्होंने सीधे ही यह कहा था कि भीमवाद पर चलेगी, पर उसका सीधा-सीधा आशय यह था कि मेरी सरकार संविधान के अनुसार चलेगी और उन्होंने संविधान के अनुसार छह साल सरकार चलाने का प्रयास किया, यह रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान जानता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी लोग जानते हैं कि अटल जी की कार्यशैली की हर जगह प्रशंसा की गई थी और इसकी प्रशंसा हुई भी है। जैसा कि मैंने कहा है, सरकार आरक्षण की पक्षधर है, आरक्षण की पक्षधर थी और आगे भी पक्षधर रहेगी। यह हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, यह माननीय अटल जी ने भी कहा था और नरेन्द्र मोदी जी ने भी इसको कहा है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने एक नहीं, बल्कि अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनके कारण डा. अम्बेडकर साहब को सम्मान मिला है।

महोदय, यह विषय सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के सरकार में 50 साल रहने के बाद भी तैल चित्र क्यों नहीं लगे थे? कांग्रेस की सरकार रहते हुए सेंट्रल हॉल में अम्बेडकर जी के चित्र क्यों नहीं लगे थे? जब कांग्रेस की सरकार गई और वी.पी. सिंह साहब की सरकार आई, तभी जाकर ये चित्र क्यों लगे थे? इस प्रश्न का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब डा. अम्बेडकर जी लोक सभा का चुनाव लड़े थे, तो उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके किसने उन्हें हराया था? ..(व्यवधान)..खरगे साहब, आप यह बात भली-भाँति जानते हैं, परंतु आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए सरकार के कामों की आलोचना करना उनकी मजबूरी है और आलोचना भी ऐसी, जो तथ्यों से दूर है, सत्यता से दूर है। उनको एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का बयान देने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक पर दस माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया है। यह समय पर क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, इनकी भी चर्चा करने की जरूरत कोशिश की है। आरक्षण या संविधान का अपमान करने का उल्लेख - इसके बारे में भूपेन्द्र यादव जी ने बता दिया है। जब आपातकाल लगाया था, तो इस देश में संविधान नाम की चीज़ नहीं बची थी। उस वक्त न कानून, न वक्रील, न दलील कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त यहाँ तक निर्णय ले लिया गया था कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति - वैसे संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई भी अपराध करेगा, तो उसे संविधान और कानून के हिसाब से दंड मिलेगा, परंतु उस समय एक कानून बना दिया गया था कि देश के प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष आदि के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकेगा अर्थात् एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकेगी। जब

जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसमें संशोधन करने का काम किया गया और फिर से जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको बहाल करने का काम किया गया।

महोदय, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी खरगे साहब ने यह कहा कि आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में डीओपीटी आंकड़े रखता है। डीओपीटी ने 2019-20 की अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी है, जो 1.1.2018 की स्थिति को लेकर है, मैं उससे सम्बन्धित कुछ आंकड़े बताकर अपनी बात कहना चाहूंगा। हालांकि रिक्तियाँ हमेशा होती रहती हैं और उनकी पूर्ति करने का प्रयास भी समय-समय पर होता रहता है, क्योंकि यह एक रूटीन प्रक्रिया है, किंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में भी रिक्तियाँ रही थीं, वर्तमान सरकार में भी रिक्तियाँ हो सकती हैं, परंतु रिक्तियों की पूर्ति का ईमानदारी से प्रयास करना आरक्षण को बचाने का एक बड़ा उदाहरण है। जो डीओपीटी की रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर बताना चाहता हूँ कि ग्रुप "ए" की सेवा में कुल 53 हजार, 252 अधिकारियों में से 7 हजार 272 अधिकारी अनुसूचित जाति से हैं। जिनका 13.66 प्रतिशत है, जो निर्धारित 15 प्रतिशत की तुलना में 1.34 प्रतिशत कम है। मैं यह उस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। इसी तरह ग्रुप 'बी' की सेवा में 1,44,281 कर्मचारी हैं, उनमें से कुल 27,757 कर्मचारी अर्थात् 17.16 प्रतिशत एससी के हैं, जो कि निर्धारित 15 प्रतिशत से 2.16 प्रतिशत अधिक हैं। ग्रुप 'सी' की सेवा में 17,27,271 कर्मचारियों में से 2,93,252 एससी के हैं यानी 16.98 प्रतिशत हैं, जो कि निर्धारित प्रतिशत से 1.28 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रुप 'सी' में सफाई कर्मचारियों की जहां तक बात है तो कुल 44,329 कर्मचारियों में से 17,574 कर्मचारी एससी के हैं यानी 39.64 प्रतिशत हैं। यह निर्धारित प्रतिशत से 24.64 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2018 हेतु अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस के लिए एससी के लिए निर्धारित 27.1 पद हैं, आईएफएस के लिए पांच पद और आईपीएस के लिए एससी वर्ग के लिए 24 पद निर्धारित हैं, जो शत प्रतिशत तक दर्शाते हैं।

मैं ये आंकड़े डीओपीटी की रिपोर्ट के आधार पर सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि रिक्तियाँ बहुत नई हैं और सरकार ने ईमानदारी से भर्ती के प्रयास किए हैं। पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी केस के बारे में चर्चा हो चुकी है। कुछ विषय ये भी निकले थे कि कुछ राज्यों से जो प्रस्ताव आए, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नमोशूद्र, पोंडरा, पोन, जो कि बंगाली रिफ्यूजी हैं, वे आए और उन्हें अनुसूचित जाति में लेने का प्रस्ताव 2015 और 2016 में पत्रों द्वारा हमारे पास आया। आरजीआई और फिर एससी आयोग ने इस पर सहमति दे दी है और यह विभाग में विचाराधीन है। अगर सब कुछ सही रहा, तो निश्चित रूप से वह भी इस प्रकार से संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीएससी के पास भी कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं। उनमें से एक ओडिशा सरकार का है। वर्ष 2018 में ओडिशा सरकार ने ओडिशा की मंगली जाति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें क्षेत्र का प्रतिबंध हटाने की बात थी। वह जाति कुछ क्षेत्रों में है इसलिए वह प्रतिबंध हटाकर पूरे राज्य में करने सम्बन्धी मांग है। आरजीआई के सहमत होने के बाद एससी आयोग के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है। एससी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हमारा विभाग उस पर आगे कार्रवाई करेगा।

आरजीआई के पास जो लम्बित विषय हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। कर्णाटक सरकार में कोटेगर, मेत्री के पर्याय के रूप में, कोटेक्षत्रिय, कोटेगरा, कोटेगवा, रामक्षत्रिय,

सेरूगरा, सेनवेगना को शामिल करने का प्रस्ताव है और यह आरजीआई के पास विचाराधीन है। वह सहमति देगा तो यह आयोग के पास जाएगा। आयोग सहमति देगा तो सरकार के पास आएगा और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम आगे कार्यवाही करेंगे। झारखंड की अनुसूचित जातियों की सूची में भुइयां के पर्याय के रूप में पाइक, खंडित, खंडित पाईक, क्षत्रिय, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां, गडई, गरहई को शामिल करने का प्रस्ताव है, यह भी आरजीआई के पास विचाराधीन है। आरजीआई की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करने का मैं विश्वास दिलाता हूँ।

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में 'बेलदार' के पर्याय के रूप में 'ओड बेलदार' को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह भी RGI की टिप्पणी के लिए विचाराधीन है। RGI की कार्रवाई के बाद आगे जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।

महोदय, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन 6-7 सालों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक समता और समरसता के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अम्बेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से हमने अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ साल भर बड़े धूमधाम से मनाई। इसके लिए एक नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। इतना ही नहीं, अम्बेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से, उनका आदर-सत्कार हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने की दृष्टि से उनसे सम्बन्धित पाँच प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ घोषित किया गया। पहला स्थान उनका जन्मस्थान है। इन्दौर के पास महु में उनका जन्म हुआ था। उस जन्मस्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, किसी और सरकार ने नहीं किया। अगर किया हो, तो विरोधी पक्ष के लोग बता दें। हमने 1991 में उसकी शुरुआत की थी, अटल जी ने उसका भूमिपूजन किया था और सरकार 1992 में चली गई। फिर दूसरी सरकार आई। उस सरकार ने उसमें एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। फिर से भाजपा की सरकार बनी। 14 करोड़ से अधिक खर्च करके वह भव्य स्मारक बनाने का काम हमने किया। दूसरा स्थान उनकी शिक्षा भूमि है। वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन में जहाँ पढ़ते थे, उस शिक्षा भूमि को, वे जिस मकान में रहते थे, महाराष्ट्र की शिव सेना-भाजपा सरकार ने खरीद कर उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया, यह प्रश्न खड़ा होता है, उनको इसका उत्तर देने की जरूरत है। तीसरा स्थान उनकी दीक्षा भूमि है। नागपुर में जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, वहाँ भव्य स्मारक बना है। उस भव्य स्मारक को और विस्तार देने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। 9.5 करोड़ रुपये स्वीकृत करके हमने उसका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने का काम किया है। ...**(व्यवधान)**... फिर अम्बेडकर जी जब दिल्ली में रहते थे, तो वे एक किराए के मकान में रहते थे। ...**(व्यवधान)**... मैं बोल रहा हूँ। वे 26, अलीपुर रोड में रहते थे। लंबे समय से माँग की जा रही थी कि उस 26, अलीपुर रोड को अम्बेडकर स्मारक का दर्जा देकर वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम किया जाए। यह काम किसी ने नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी, उन्होंने 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, नरेन्द्र मोदी जी ने उसका भूमिपूजन किया, वह बन कर तैयार हो गया और नरेन्द्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी समय निकाल कर उस भव्य स्मारक को देखने का कष्ट करें। निश्चित रूप से आप उसकी तारीफ करेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि इतना अच्छा भवन बनाने का काम किया

गया है। यह काम हमने किया है। ...**(व्यवधान)**... इसी प्रकार से चैत्य भूमि है, जहाँ अम्बेडकर जी का अन्तिम संस्कार हुआ था। अब मैं याद नहीं दिलाना चाहता, कहना नहीं चाहता कि अम्बेडकर जी के अन्तिम संस्कार के लिए तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में जगह नहीं दी थी, तो यहाँ से ले जाकर मुम्बई में चैत्य भूमि में उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। उस अन्तिम संस्कार वाले स्थल को भव्य स्मारक बनाने का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उस भव्य स्मारक के बगल में इंदु मिल, जो बंद पड़ी थी, उस जमीन का अधिग्रहण किया और लगभग 275 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम चल रहा है। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया था।

नरेन्द्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो सुरेन्द्रनगर में भारत के संविधान की सजावट करके उसको हाथी पर रखा गया और एक किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी। नरेन्द्र मोदी जी स्वयं उस पदयात्रा में सम्मिलित थे। इस प्रकार से अम्बेडकर जी का सम्मान करने का काम भी हमने किया है। जैसा मैंने बताया कि अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ हमने सारे देश में धूमधाम से मनाई। ऐसे कुछ काम अगर दूसरी सरकारों, विशेषकर कांग्रेस सरकार ने किये हों, तो खरगे जी कभी बतायें, हमें बतायें, हम उस पर विचार करेंगे, अन्यथा इस प्रकार की असत्य बातें, अमर्यादित बातें, जिम्मेदार सदन में न कहें। यह उच्च सदन है, भारत की संसद प्रजातंत्र का मन्दिर है, इस प्रजातंत्र के मन्दिर की रक्षा करना, इसे सम्मान देना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। खरगे साहब को भी इस विचार करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता - हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ है, किन्तु समय की मर्यादा है, कभी ऐसे लम्बे विषय पर चर्चा करने का मौका मिलेगा तो ऐसे अनेक उदाहरण सहित जानकारी दूंगा। वर्तमान में मैं माननीय सदस्यों और सदन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तमिलनाडु की सात जातियों को मिलाकर एक जाति 'देवेन्द्रकुला वेलालर' नाम देने का जो विधेयक है, इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए मैं विनती करता हूँ और आप दिल पर हाथ रखकर कहें, दिल्ली में जो दो स्मारक हैं, एक अलीपुर रोड पर है और दूसरा होटल के पीछे है, उन दोनों जगहों के बारे में किसने मीटिंग ली, पैसा किसने रखा और इन्हें परमिशन किसने दी? मैं रेलवे के साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर सिर्फ तीन महीने था। तीन महीने में मैंने बुलाकर मीटिंग लेकर क्लियर करके, वह जगह खाली करके रखी थी, आपने 14 अप्रैल को आकर फाउण्डेशन डाली। मैं वह आदमी हूँ, जो 1977 में इन्दिरा गांधी जी को गुलबर्गा ले जाकर, जो स्टेच्यूज आपने यहां खड़े किये हैं और जिनके लिए आप नरेन्द्र मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैंने 1977 में वहां बनाए हैं। आप बार-बार कह रहे हैं कि खरगे साहब यह कह रहे हैं, खरगे साहब वह कह रहे हैं। हमने जितना किया, उतना करो तो बहुत है। ..**(व्यवधान)**..

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, for the sake of records. ...**(Interruptions)**...

श्री थावरचन्द गहलोत: फिर खरगे साहब ने असत्य बात कही है। ..**(व्यवधान)**.. 26, अलीपुर रोड ..**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record, except what the Leader of the House says. *(Interruptions)*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Leader of the House is misleading the House. *(Interruptions)* He is misleading the House. ...*(Interruptions)*..

श्री थावरचन्द गहलोत: 26, अलीपुर रोड, जब अटल जी की सरकार थी, जिसकी वह निजी सम्पत्ति थी, वह अटल जी की सरकार ने खरीदी और उस समय उस स्मारक की शुरुआत की थी। 26, अलीपुर रोड अटल जी की सरकार के टाइम हुआ। यह रिकॉर्ड देख लें और रहा सवाल, खरगे साहब ने जो कहा कि ..*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: उसकी प्रॉपर प्रक्रिया है।

श्री थावरचन्द गहलोत: खरगे साहब ने कहा कि ली मेरिडियन होटल के बगल में 15, जनपथ जो इंटरनेशनल सेन्टर हमने बनाया है, इसकी चर्चा इनके टाइम पर हुई थी, कोई जमीन अधिगृहीत नहीं हुई थी, यह हमारे टाइम की है, स्वीकृति हमारे टाइम में हुई, पैसा हमने मंजूर किया, भूमिपूजन हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। यह जो जानकारी दी है, वह सही नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"that the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu, as passed by Lok Saha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister to move that the Bill be passed.

श्री थावर चन्द गहलोत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि विधेयक पारित किया जाए। "

The question was put and the motion was adopted.
